



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122020-223521
CG-DL-E-05122020-223521

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3850]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्राहायण 13, 1942

No. 3850]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4388(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि असम राज्य के गोआलपाड़ा जिले में NH17 के कि.मी. 71.800 से कि.मी. 84.100 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गोयलपारा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

असम राज्य के गोआलपाड़ा जिले में NH17 के कि.मी. 71.800 से कि.मी. 84.100 (डिप्टी कमिश्नर ऑफिस गोयलपारा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: असम		जिले का नाम: गोआलपाड़ा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बालीजन					
गांव का नाम: क्षरबोजा					
1	119/ 11	निजी	सालीतोली	0.0020000(हेक्टेयर)	0.0020000
2	123 / 16	निजी	बारी	0.0660000(हेक्टेयर)	0.0660000
3	130	निजी	बारी	0.2000000(हेक्टेयर)	0.2000000
गांव का नाम: माकरी					
1	43 / 91	निजी	सालीतोली	0.0010000(हेक्टेयर)	0.0010000
गांव का नाम: पंचरत्न शाल फोरेस्ट					
1	40	सरकारी	फोरिंग	0.7970000(हेक्टेयर)	0.7970000
कुल				1.0660	1.0660

[फा. सं. 570009/3A2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2020

S.O. 4388(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH17 in the stretch of land from Design Chainage, Km 71.800 to Km 84.100 (DC Office Goalpara) in the district of GOALPARA in the state of ASSAM, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Additional Deputy Commissioner in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH17 in the stretch of land from Design Chainage, Km 71.800 to Km 84.100 NH17 (DC Office Goalpara) in the district of GOALPARA in the State of ASSAM.

State: ASSAM		District: GOALPARA			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Balijana					
Village: Kharboja					
1	119/ 11	Private	Salitoli	0.0020000(Hectare)	0.0020000
2	123 / 16	Private	BARI	0.0660000(Hectare)	0.0660000
3	130	Private	BARI	0.2000000(Hectare)	0.2000000
Village: Makri					
1	43 / 91	Private	Salitoli	0.0010000(Hectare)	0.0010000
Village: Pancharatna Sal Forest					
1	40	Government	Foring	0.7970000(Hectare)	0.7970000
Total				1.0660	1.0660

[F. No. 570009/3A2]
RAJESH GUPTA, Dy. Secy.